[illegible]

[illegible]

[illegible]—[illegible]

[illegible]/2017

आरबीई सं0—137/2017

सं0 ई/9/10/भाग-VII/चार   दिनांक 10—11—2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:—केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 01.07.2017 से प्रभावी संशोधित दरों पर महँगाई भत्ता।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 पीसी—VII/2016/आई/7/2/1 दिनांक 06.10.2017 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू0 पी0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर — 40 प्रतियों में।
2— महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर — 02 प्रतियों में।
3— महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर — 02 प्रतियों में।
4— पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर — 01 प्रति में।
5— महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0—02 प्रतियों में।
6— मुकार्याधी/एपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु — 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

RM-171

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

क्र. सं. 60/पीसी-VII आरबीई सं.: 1 2017

फाइल सं. पीसी-VII/2016/आई/7/2/1 नई दिल्ली, दिनांक: 06 .10.2017

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(डाक सूची के अनुसार)

विषय:- केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 01.07.2017 से प्रभावी संशोधित दरों पर महंगाई भत्ता प्रदान करना।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 31.03.2017 के पत्र आरबीई सं. 30/2017 (फा.नं. पीसी-VII/2016/आई/7/2/1) का अवलोकन करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति सहर्ष यह निर्णय लेते है कि रेलवे कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते को 01 जुलाई, 2017 से मूल वेतन के 4% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 5% किया जाएगा।

2. सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का आशय पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर में प्राप्त वेतन से है, परंतु इसमें कोई अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है।

3. महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का विशिष्ट तत्व ही रहेगा और इसे नियम 1303 (एफआर 9(21)), भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, वॉल्यूम-II (छठा संस्करण - 1987) - दूसरा नया पुनर्मुद्रण 2005 की परिधि के भीतर वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा।

4. महंगाई भत्तों के कारण भुगतान, जिसमें 50 पैसे और इससे अधिक पैसे की राशि शामिल हो तो उसे अगले उच्चतर रुपए में पूर्णांकित किया जाए और 50 पैसे से कम की राशि पर ध्यान न दिया जाए।

5. महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान सितंबर, 2017 के वेतन के वितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा।

6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(जया कुमार जी)
उप निदेशक, वेतन आयोग-VII
रेलवे बोर्ड

GOVERNMENT OF INDIA [illegible]
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL [illegible])
(RAILWAY BOARD)

RBE No. [illegible]

S. No. 60/PC-VII

New Delhi, dated: [illegible]

File No. PC-VII/2016/I/7/2/1

The General Manager/CAOs(R),
All India Railways & Production Units,
(As per mailing list)

Sub: - Grant of Dearness Allowance to Central Government employees – Revised Rates effective from 01.07.2017.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's letter RBE No 30/2017 dated 31.03.2017 (F. No. PC-VII/2016/I/7/2/1) on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Railway employees shall be enhanced from the existing rate of 4% to 5% of the basic pay with effect from 1st **July, 2017.**

2. The term 'basic pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.

3. The Dearness Allowance will continue to be distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of Rule 1303 (FR 9(21)), Indian Railway Establishment Code, Volume-II (Sixth Edition – 1987) – Second Reprint 2005.

4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

5. The payment of arrears of Dearness Allowance shall not be made before the date of disbursement of salary of September, 2017.

6. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

(Jaya Kumar G)
Deputy Director, Pay Commission-VII
Railway Board

New Delhi, dated: 06.10.2017

File No. PC-VII/2016/I/7/2/1

Copy (with 40 spares) forwarded to the A.D.A.I., Railways, New Delhi.

For Financial Commissioner, Railway